मास्टर प्लान और नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर ने की शासन से धोखाधड़ी, 60 फ्लैट की अनुमति, और नक्शा पास 90 फ्लैट का: कैसे हुआ यह 'चमत्कार'?

न्यायधानी के अज्ञया नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर पालिक निगम और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (**T&CP**) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। **'मेसर्स अनंत रियाल्टी'** नामक प्रोजेक्ट में बिल्डर नमन गोयल और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो सीधे तौर पर शासन को करोड़ों की क्षति और आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है।

इस पूरे मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू **'एरिया स्टेटमेंट'** और स्वीकृत **'नक्शे'** के बीच का भारी अंतर है। अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार, बिल्डर नमन गोयल ने **4** तलों पर केवल **60** फ्लैट्स के निर्माण का जिक्र अनुमोदित अभिन्यास के एरिया स्टेटमेंट में किया। लेकिन विभाग के द्वारा उसी अनुमोदित अभिन्यास के नक्शे में जादूई तरीके से फ्लैट्स की संख्या बढ़कर **90** और तलों की संख्या **6** को कर नक्शा पास कर दिया गया है । यह विसंगति इतनी प्रत्यक्ष है कि इसे पहली नज़र में ही देखा जा सकता है, फिर भी अधिकारियों ने इसे अपनी मंजूरी दे दी।

प्रोजेक्ट का नक्शा **'विकास सिंह'** नामक एक इंजीनियर के माध्यम से तैयार कराया गया है। बिलासपुर शहर में इस नाम का कोई भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर उपलब्ध ही नहीं है। यह एक छद्म नाम है जिसका उपयोग केवल फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए किया जाता रहा है। **पूर्व में भी इस नाम का उपयोग कर कई अवैध निर्माणों के नक्शे स्वीकृत कराए गए थे, जिसके बाद नगर निगम ने इस कथित इंजीनियर का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद, उसी निलंबित पहचान पर एक नया बड़ा प्रोजेक्ट पास हो जाना विभाग की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।**

नियमों के अनुसार**,** किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS)** के लिए फ्लैट आरक्षित करना अनिवार्य है। बिल्डर ने शपथ पत्र दिया कि वह ग्राम तिफरा के खसरा नंबर **407/7** पर ये फ्लैट बनाएगा। लेकिन जब इस यह जमीन बिल्डर के नाम पर दर्ज ही नहीं है। यानी**,** गरीबों को घर देने के नाम पर शासन को पूरी तरह से गुमराह किया गया और एक झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विकास अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई।

सरकारी विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो जाना यह साबित करता है कि बिल्डर नमन गोयल शासन प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से धोखाधड़ी करते हुए फर्जी नक्शा अनुमोदित करवा लिया**,** ऐसे में बिल्डर नमन गोयल और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल **FIR** दर्ज कर प्रोजेक्ट की विकास और भवन अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिए ताकि आम नागरिक और भोले वाले लोगों को से धोखाधड़ी होने से बचाया जा सके । अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कार्रवाई करता है।